(सत्यप्रतिलिपि)

न्या–अपर सत्र न्यायाधीश धमतरी, छ.ग.

(आदेश दिनांक 11/11/2020)

ज.या.क. 263/2020

मनोज यादव पिता सुकालू यादव,
उम्र 35 वर्ष, निवासी अमलीडीह,
थाना भखारा, जिला धमतरी छ.ग. ....आवेदक/अभियुक्त

–विरूद्ध–

छ0ग0 शासन, ...अनावेदक/अभियोजन

11-11-2020 माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश क्र. 79/विविध/दो–14–01/2020 बिलासपुर दिनांक 15 जुलाई, 2020 के परिपेक्ष्य में कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी के विविध आदेशानुसार प्रकरण मेरे समक्ष पेश।

आवेदक/आरोपी द्वारा श्री अनिल गांधी, अधिवक्ता।

राज्य द्वारा श्री एस.के.रंगारी, अतिरिक्त लोक अभियोजक।

प्रकरण अभिलेख एवं जमानत आवेदन पत्र धारा 439 दं.प्र.सं. पर तर्क हेतु नियत है।

संबंधित न्यायालय से दांडिक प्रकरण क्र. 213/2020 छ.ग. राज्य बनाम मनोज यादव प्राप्त।

आवेदन पत्र धारा 439 द0प्र0सं0 पर उभयपक्षों को सुना गया आवेदन पत्र एवं निम्न न्यायालय के दांडिक प्रकरण क्र. 213/2020 छ.ग. राज्य बनाम मनोज यादव का अवलोकन किया गया। आवेदक/आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि आवेदक/आरोपी को थाना भखारा के द्वारा अपराध क्र0–105/2020 धारा–457, 380 भा.दं.वि. के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल धमतरी में निरूद्ध किया गया है। वह पूर्णतः निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। वह जमानत पर रिहा होना चाहता है तथा रिहा होने के संबंध में जो भी शर्तें न्यायालय द्वारा लगायी जायेगी वे उन शर्तों का पालन करने को तैयार है। वह धमतरी जिले का स्थायी निवासी है। आवेदक द्वारा पेश आवेदन प्रथम जमानत आवेदन है। इसके अतिरिक्त अन्य सक्षम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर में लंबित नहीं है और न ही निराकृत हुआ है। अतः जमानत की सुविधा प्रदान किया जावे।

श्री एस.के.रंगारी, अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा आवेदन पर आपत्ति करते हुए निवेदन किया गया है कि आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति की है। अतः जमानत की सुविधा प्रदान न किया जावे।

आवेदक की ओर से आवेदन के समर्थन में अपनी पत्नी संतोषी का शपथ पत्र पेश किया गया है जिसके अनुसार पेश जमानत आवेदन प्रथम जमानत आवेदन है।

निम्न न्यायालय के दांडिक प्रकरण क्र. 105/2020 छ.ग. राज्य बनाम अनिल नेताम वगैरह के अनुसार प्रार्थी शिवदयाल साहू की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध थाना भखारा के द्वारा अपराध क्रमांक–105/2020 धारा–457, 380 भा.दं.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र पेश किया गया है। आरोपी के विरूद्ध धारा–457, 380 भा.दं.वि. के तहत् आरोप है कि दिनांक 27.09.2020 को दरम्यानी शाम 00:00 बजे ग्राम अमलीडीह के पंचायत भवन से कारावास से दंडनीय अपराध चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार किया गया तथा पंचायत भवन अमलीडीह की सम्मति के बिना उसके आधिपत्य की वाईफाई उपकरण, सोलर पैनल, वाईफाई उपकरण का लोहे का पाईप, भारत नेट ऑप्टिकल नेटवर्क का सोलर पैनल, भारत नेट ऑप्टिकल नेटवर्क का पाईप, 100 मीटर कोर–कोर ऑप्टिकल फाइवर कीमती लगभग 1,50,000/–रूपये को बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी कारित किया गया। आरोपी के मेमोरंडम बयान के आधार पर उसके आधिपत्य से चोरी के तुरंत पश्चात् चोरी की संपत्ति जप्त किया गया है। आरोपी के द्वारा किया गया उक्त कृत्य गंभीर प्रकृति की है। आरोपी के द्वारा ग्राम पंचायत, अमलीडीह की शासकीय संपत्ति की चोरी की गयी है। वर्तमान में चोरी की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। अतः आवेदक/आरोपी की ओर से पेश जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 प्रकरण की उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित संबंधित न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे।

जमानत प्रकरण समाप्त। परिणाम दर्ज कर अभिलेख, अभिलेखागार भेजी जावे।

सही/–
(ग्रेगोरी तिर्की)
अपर सत्र न्यायाधीश
धमतरी (छ.ग.)

<u>प्रतिलिपि :–</u>

1. आदेश की प्रति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुरूद, जिला धमतरी की ओर आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित।
2. लोक अभियोजक, धमतरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सही / –

(ग्रेगोरी तिर्की)
अपर सत्र न्यायाधीश
धमतरी (छ.ग.)